# भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA



एस.जी.-डी.एल.-अ.-10072021-228231 SG-DL-E-10072021-228231

# असाधारण EXTRAORDINARY

# प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 192]	दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 9, 2021/आषाढ़ 18, 1943	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 83
No. 192]	DELHI, FRIDAY, JULY 9, 2021/ASHADHA 18, 1943	[N. C. T. D. No. 83

# भाग IV PART IV

# राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

एवं

मुख्य पंजीकार (जन्म व मृत्यु)

# अधिसूचना

दिल्ली, 9 जुलाई, 2021

सं. एफ. 4(18) / जी.शा. / अ.स.नि. / 2020 / 10020.—जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 (1969 का 18) की धारा 30 की उप—धारा (1) के साथ धारा 2 की उप—धारा (1) के प्रावधान (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से दिल्ली जन्म और मृत्यु पंजीकरण नियम, 1999 में संशोधन करते हुए निम्न नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

- 1. (i) इन नियमों को दिल्ली जन्म व मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) नियमावली, 2021 कहा जाएगा।
  - (ii) ये नियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
- 2. दिल्ली जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण नियमावली 1999 को इस प्रलेख में आगे प्रधान / प्रमुख नियम कहा जाएगा।

3817 DG/2021 (1)

3. **नियम 10: धारा 14 के प्रयोजन के लिए अवधि** — (1) जहां किसी शिशु के जन्म का पंजीकरण बिना नाम के किया गया हो वहां ऐसे शिशु के माता पिता या संरक्षक रजिस्ट्रार को शिशु के नाम के सबंध में मौखिक या लिखित सूचना शिशु के जन्म के पंजीकरण के बारह माह के भीतर देगा :

परंतु यदि ऐसी कोई सूचना बारह माह के पश्चात दी जाती हो तो उसकी गणना निम्न रुप में की जाएगी:-

दिल्ली जन्म और मृत्यु पंजीकरण नियम, 1999, के नियम 10 के उप—नियम —1 के खंड (i) एवं (ii) को निम्नलिखित रुप से प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत:-

- (i) (क). ऐसे मामले में जहां पंजीकरण प्रधान / प्रमुख नियम के लागू होने की तारीख से पूर्व किया गया हो, इस नियम (अर्थात जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) नियमावली, 2021) के लागू होने की तारीख से और पांच साल की अविध दी जाएगी। या
  - (ख). ऐसे मामले में जहां पंजीकरण प्रधान / प्रमुख नियम के लागू होने की तारीख के बाद किया गया हो और पंजीकरण की तारीख से पंद्रह साल की अविध पहले ही समाप्त हो चुकी है , उन्हें भी इस नियम (अर्थात जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) नियमावली, 2021) के लागू होने की तारीख से पांच साल की अविध दी जाएगी। उन मामलों में, जहां पंजीकरण की तारीख से पंद्रह साल की अविध अभी तक समाप्त नहीं हुई है, उन्हें पंद्रह साल की अविध का लाभ उठाने के लिए अनुमित दी जाएगी। या
- (ii) ऐसे मामले में जहां पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु (संशोधन) पंजीकरण नियमावली 2021, के लागू होने की तारीख के बाद किया गया हो, वहां पंजीकरण की तारीख से पंद्रह साल की अविध, बशर्ते कि धारा –23 की उपधारा (4) के उपबंधों के अध्यधीन, रजिस्ट्रार करेगा-
  - (क) यदि रजिस्टर उनके कब्जे में हो तो 5/- रुपए (पांच रुपए) विलम्ब फीस के भुगतान पर संबंधित जन्म रजिस्टर के संबद्ध फार्म के सुसंगत स्तम्भ मे नाम दर्ज करेगा।
  - (ख) यदि रिजस्टर उनके कब्जे में नहीं हो और यदि सूचना मौखिक रुप में दी गई हो तो आवश्यक विशिष्टियां देते हुए एक रिपोर्ट देगा और यदि सूचना लिखित रुप में दी गई हो तो उसे 5/- रुपए (पांच रुपए) विलम्ब फीस के भुगतान पर आवश्यक प्रविष्टि करने के लिए राज्य सरकार द्वारा इस निमित विनिर्दिष्ट पदाधिकारी को अग्रेषित कर देगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

डॉ. ए. सी. वर्मा, प्रमुख सचिव (योजना)

#### DIRECTORATE OF ECONOMICS AND STATISTICS

# **AND**

# OFFICE OF THE CHIEF REGISTRAR (BIRTHS AND DEATHS) NOTIFICATION

Delhi, the 9th July, 2021

- **No. F. 4(18)/VS/DES/2020/10020.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 30 read with clause (f) of sub-section (1) of section 2 of the Registration of Births and Deaths Act, 1969 (18 of 1969), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, with the approval of the Central Government, hereby makes the following rules to further amend the Delhi Registration of Births and Deaths Rules, 1999, namely:-
- 1. (i) These rules may be called the Delhi Registration of Births and Deaths (Amendment) Rules, 2021.
  - (ii) These rules shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. The Delhi Registration of Births and Deaths Rules, 1999, thereinafter called the principal rule.

3. Rule 10: Period for the purpose of Section 14 - (1) Where the birth of any child had been registered without a name, the parent or guardian of such child shall, within twelve months from the date of registration of the birth of child, give information regarding the name of child to the Registrar either orally or in writing.

Provided that if the information is given after the aforesaid period of twelve months, which shall be reckoned as under:-

# For clause (i) and (ii) of sub-rule-1 of rule 10 of the Delhi Registration of Births and Deaths Rules, 1999, the following shall be substituted, namely:-

- (i) (a) In case where the registration had been made prior to the date of commencement of the principal rule, further five years period from the date of commencement of this rule (i.e. Registration of Births & Deaths (Amendment) Rules, 2021) shall be given. Or
- (b) In case where the registration had been made after the date of commencement of the principal rule and fifteen years period from date of registration has already been lapsed, they shall also be given five years period from the date of commencement of this rule (i.e. Registration of Births & Deaths (Amendment) Rules, 2021). In respect of those cases, where fifteen years period from the date of registration has not yet been lapsed, they shall be allowed to avail the fifteen years period. Or
- (ii) In case where the registration is made after the date of commencement of the Registration of Births & Deaths (Amendment) Rules, 2021, the period of fifteen years from the date of such registration, subject to the provisions of sub-section (4) of section 23.

### the Registrar shall-

- (a) If the register is in his possession forthwith enter the name in the relevant column of the concerned form in the birth register on payment of a late fee of rupees five.
- (b) If the register is not in his possession and if the information is given orally, make a report giving necessary particulars, and if the information is given in writing, forward the same to the officer specified by the State Government in this behalf for making the necessary entry on payment of a late fee of rupees five.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

DR. A. C. VERMA, Pr. Secy. (Plg.)